

# नगर पालिक निगम, भिलाई

## छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011

स.क.	अधिसूचित लोक सेवा	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित समय-सीमा
(1)	(2)	(3)
1	नल कनेक्शन	30 दिवस
2	राशनकार्ड (नया)	30 दिवस
3	भवन अनुज्ञा	30 दिवस
4	राष्ट्रीय परिवार सहायता	21 दिवस
5	जन्म	30 दिवस
6	मृत्यु	30 दिवस
7	जन शिकायत	30 दिवस
8	राजस्व(नाम हस्तांतरण सम्पत्तिकर)	30 दिवस
9	गुमास्ता लाईसेंस	30 दिवस
10	ट्रैड लाईसेंस	30 दिवस
11	निशक्त जन छात्रवृत्ति	30 दिवस
12	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	60 दिवस
13	सुखद सहारा पेंशन	60 दिवस
14	इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन	60 दिवस
15	इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन	60 दिवस
16	इंदिरा गांधी विधवा पेंशन	60 दिवस
17	पेंशन संबंधी शिकायत की जांच	60 दिवस



*Handwritten signature*

18	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया हेतु भवन अनुज्ञा पूर्व /खुर्सीस्तर पर /पूर्णता: सह अधिभोग स्तर पर निरीक्षण प्रतिवेदन का वेब साइट में प्रकाशन(नगरीय क्षेत्र)	2 दिवस
19	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुती के उपरांत खुर्सीस्तर पर स्थल निरीक्षण (नगरीय क्षेत्र)	7 दिवस
20	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुती के उपरांत खुर्सीस्तर प्रमाण पत्र जारी किया जाना (नगरीय क्षेत्र)	8 दिवस
21	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुती के उपरांत पूर्णता: अधिभोग स्तर पर निरीक्षण (नगरीय क्षेत्र)	7 दिवस
22	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुती के उपरांत भवन पूर्णता :सह अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया जाना (नगरीय क्षेत्र)	8 दिवस
23	सम्पत्तिकर पंजी में सम्पत्ति का पंजीयन (नगरीय क्षेत्र)	7 दिवस

*TK Aggarwal*

